FROM No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

सहायक कलक्टर (SDO) बायतु

अज अदालत सहायक कलक्टर (SDO) बायतु मुकाम ....

मेहर सिंह बनाम रेवंत सिंह व अन्य

किस्म मुकदमा रा. वाद 88, 53, 188 RT नं. 209/2020 सन् 2020

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
20/10/2020	प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री महावीर प्रजापत ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा 88, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी/भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी /प्रतिवादी/रेस्पोडेंट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 08/12/2020 को पेश हो। [signature] सहायक कलक्टर (SDO) बायतु	
08/12/2020	वादी वकील उपस्थित/प्रतिवादीगणों के सम्मन तामील कुछ तामील अप्राप्त/श्रीमान पीठासीन अधिकारी ~~का पद रिक्त~~ चुनाव ड्यूटी में व्यस्त होने से मिसल इल्तवा होकर आगामी दिनांक 09/03/2021 को पेश हो। [initials]	
09/03/2021	वादी वकील उपस्थित/प्रतिवादीगणों के सम्मन तामील कुछ तामील अप्राप्त/श्रीमान पीठासीन अधिकारी का पद रिक्त होने से मिसल इल्तवा होकर आगामी दिनांक 15/03/2021 को पेश हो। [initials]	

15/03/2020

वादी वकील उपस्थित। वादी वकील द्वारा एक प्रार्थना-पत्र पत्रावली विड्रोवल करने बाबत का प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि हम वादीगण व प्रतिवादीगणों के बिच गाँव मौजिज लोगों द्वारा राजीनामा करवा दिया गया है हम वादीगण व प्रतिवादीगण आपस में राजीबाजी हो गये है, इसलिए हम उक्त वाद को आगे नहीं चलाना चाहते है। तथा विड्रोवल करना चाहते है।

अतः वादी वकील द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर वादी का वाद जरिये विड्रोवल खारीज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो, दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर
(SDO) बायतु